



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228926
CG-DL-E-12082021-228926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3003]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943

No. 3003]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3238(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी, बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
तहसील-बागोडा		जिला-जालोर		राज्य –राजस्थान	
क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जेतु	1116	00	03	50
		1116/1704			
		859	00	01	85
		कुल	00	05	35
2	अरणु	235	00	07	67
		241	00	04	19
		226	00	10	86
		337	00	00	85
		कुल	00	23	57

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ.आर-I/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August. 2021

S.O. 3238(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer-Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE**TEHSIL : BAGODA****DISTRICT: JALORE****STATE: RAJASTHAN**

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jaitoo	1116	00	03	50
		1116/1704			
		859	00	01	85

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Total	00	05	35
2	Aranoo	235	00	07	67
		241	00	04	19
		226	00	10	86
		337	00	00	85
		Total	00	23	57

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3239(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी, बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील- पचपदरा

जिला-बाड़मेर

राज्य-राजस्थान

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सांभरा	30	00	44	78
		157/30			
		158/30			
		159/30			
		160/30			
		161/30			
		162/30			
		163/30			
		कुल	00	44	78

2	गोपडी	335/157	02	36	55
		कुल	02	36	55
3	मंडापुरा	1042/44	00	16	47
		110	00	16	47
		कुल	00	32	94
4	खेड	722/1	00	25	89
		726/1	00	14	13
		725/1	00	31	57
		723/1	00	20	82
		716/1	00	13	15
		721/1	00	28	21
		757/3	00	00	90
		756/3	00	16	38
		514/3	00	41	68
		516/3	00	75	74
		673/286 668/286 669/286 675/286 878/286	00	19	68
		690/285 691/285 692/285	00	15	57
		1828/300	00	00	90
		1831/283	00	04	30
		1832/283	00	04	91
		1833/283	00	03	48
		187	00	34	00
		862/161	00	23	22
		863/161	00	20	87
		865/161	00	14	66
		कुल	04	10	06
5	कलावा	862/475	00	05	00
		486	00	01	26
		506	00	06	28
		कुल	00	12	54
6	तिलवाडा	986/326	00	06	39
		987/326	00	18	36
		460/326	00	11	52
		833/364	00	25	58
		819/248	00	10	62

		249	00	07	05
		516/234	00	05	94
		कुल	00	85	46
7	मेवानगर	1378/13	00	33	75
		1501/14 1502/14 1503/14 1504/14	00	50	58
		551/14 552/14	00	05	40
		कुल	00	89	73
8	वरिया तगजी	597/45 598/45	00	22	29
		595/37 596/37	00	34	61
		543/47 544/47 545/47 546/47	00	58	91
		551/72 552/72	00	05	10
		553/72 554/72	00	05	10
		586/206	00	36	95
		591/216	00	29	32
		कुल	01	92	28

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ.आर-I/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August. 2021

S.O. 3239(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE

TEHSIL : Pachpadra

DISTRICT: Barmer

STATE: Rajasthan

S.No.	Village of Name	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambhura	30			
		157/30			
		158/30			
		159/30			
		160/30	00	44	78
		161/30			
		162/30			
		163/30			
		Total	00	44	78
2	Gopadi	335/157	02	36	55
		Total	02	36	55
3	Mandapura	1042/44	00	16	47
		110	00	16	47
		Total	00	32	94
4	Khed	722/1	00	25	89
		726/1	00	14	13
		725/1	00	31	57
		723/1	00	20	82
		716/1	00	13	15
		721/1	00	28	21
		757/3	00	00	90
		756/3	00	16	38
		514/3	00	41	68
		516/3	00	75	74
		673/286 668/286 669/286 675/286 878/286	00	19	68
		690/285 691/285 692/285	00	15	57
		1828/300	00	00	90
		1831/283	00	04	30
		1832/283	00	04	91

		1833/283	00	03	48
		187	00	34	00
		862/161	00	23	22
		863/161	00	20	87
		865/161	00	14	66
		Total	04	10	06
5	Kalawa	862/475	00	05	00
		486	00	01	26
		506	00	06	28
		Total	00	12	54
6	Tilwada	986/326	00	06	39
		987/326	00	18	36
		460/326	00	11	52
		833/364	00	25	58
		819/248	00	10	62
		249	00	07	05
		516/234	00	05	94
		Total	00	85	46
7	Mewanagar	1378/13	00	33	75
		1501/14 1502/14 1503/14 1504/14	00	50	58
		551/14 552/14	00	05	40
		Total	00	89	73
8	Variya Tagji	597/45 598/45	00	22	29
		595/37 596/37	00	34	61
		543/47 544/47 545/47 546/47	00	58	91
		551/72 552/72	00	05	10
		553/72 554/72	00	05	10
		586/206	00	36	95
		591/216	00	29	32
		Total	01	92	28

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3240(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) सेपालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान फाइनरी, बाड़मेर, श्रीजसनाथ हाउस, बार्डसंख्या 42, बलदेवनगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील-रानीवाड़ा

जिला-जालोर

राज्य-राजस्थान

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिलासन	1764	00	03	50
		कुल	00	03	50
2	पादावी	324	00	02	49
		कुल	00	02	49
3	मेड़ा	162	00	08	40
		129	00	00	31
		कुल	00	08	71
4	रानीवाड़ा कलां	783	00	02	50
		कुल	00	02	50
5	सिंघावास	296	00	05	12
		कुल	00	05	12
6	धानोल	478	00	03	49
		कुल	00	03	49

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ.आर-I/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August. 2021

S.O. 3240(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (BarmerPalanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer-Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, ShriJasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE**TEHSIL: RANIWADA****DISTRICT: JALORE****STATE: RAJASTHAN**

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Silasan	1764	00	03	50
		Total	00	03	50
2	Padavi	324	00	02	49
		Total	00	02	49
3	Meda	162	00	08	40
		129	00	00	31
		Total	00	08	71
4	Raniwada Kalan	783	00	02	50
		Total	00	02	50
5	Singawas	296	00	05	12
		Total	00	05	12
6	Dhanol	478	00	03	49
		Total	00	03	49

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3241(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी, बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील- सायला

जिला- जालोर

राज्य- राजस्थान

क्रम.सं	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तेजा की बेरी	572/568	00	48	24
		571/568	00	08	46
		347	00	06	29
		कुल	00	62	99
2	सांगाणा	1594/1593	00	24	67
		20	00	32	61
		141	00	48	83
		1228	00	04	28
		कुल	01	10	39
3	आलवाडा	767	00	08	09
		कुल	00	08	09
4	सुराणा	430	00	10	04
		कुल	00	10	04
5	कोमता	126	00	04	30
		129	00	02	88
		131	00	04	68
		831/1443	00	07	24
		863	00	16	63
		1059	00	02	21
		कुल	00	37	94

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ.आर-I/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August. 2021

S.O. 3241(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE**TEHSIL : SAYLA****DISTRICT: JALORE****STATE: RAJASTHAN**

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
1	Teja Ki Beri	572/568	00	48	24
		571/568	00	08	46
		347	00	06	29
		Total	00	62	99
2	Sangana	1594/1593	00	24	67
		20	00	32	61
		141	00	48	83
		1228	00	04	28
		Total	01	10	39
3	Alwada	767	00	08	09
		Total	00	08	09
4	Surana	430	00	10	04
		Total	00	10	04
5	Komta	126	00	04	30
		129	00	02	88
		131	00	04	68
		831/1443	00	07	24
		863	00	16	63
		1059	00	02	21
		Total	00	37	94

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3242(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी, बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची**तहसील-सिणधरी****जिला-बाड़मेर****राज्य-राजस्थान**

क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे न0	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दाखां	1250/407	00	04	63
		386	00	04	36
		388	00	02	62
		1937/389	00	18	40
		कुल	00	30	01
2	धनवा	20	00	10	26
		260/2	00	08	17
		260	00	16	31
		262	00	16	31
		कुल	00	34	74
3	जूना मीठा खेडा	285	00	09	62
		656/634	00	02	34
		कुल	00	11	96
4	गोलिया भाटा	354/1	00	12	60
		411	00	12	45
		कुल	00	25	05

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ.आर-I/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August. 2021

S.O. 3242(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE**TEHSIL: SINDHARI****DISTRICT: BARMER****STATE: RAJASTHAN**

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dakha	1250/407	00	04	63
		386	00	04	36
		388	00	02	62
		1937/389	00	18	40
		Total	00	30	01
2	Dhanwa	20	00	10	26
		260/2 260	00	08	17
		262	00	16	31
		Total	00	34	74
3	Joona Meetha Kheda	285	00	09	62
		656/634	00	02	34
		Total	00	11	96
4	Goliya Bhata	354/1	00	12	60
		411	00	12	45
		Total	00	25	05

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.